

**पुलिस विभाग के अन्तर्गत पुलिस आरक्षी / पी०ए०सी० / आई०आर०बी० / अग्निशामक
(पुरुष / महिला) परीक्षा-2021**

Check List

अनुक्रमांक –

क्र०सं०	प्रमाण पत्रों / अभिलेखों का विवरण	संलग्न है अथवा नहीं
01	ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति।	
02	विस्तृत आवेदन पत्र (प्रपत्र संख्या-02) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
03	प्रमाणीकरण प्रपत्र (प्रपत्र संख्या-03) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
04	देशना प्रत्रक (प्रपत्र संख्या-04) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
05	हाईस्कूल प्रमाण-पत्र	
06	हाईस्कूल अंकतालिका, वर्ष-	
07	इण्टरमीडिएट प्रमाण-पत्र	
08	इण्टरमीडिएट अंकतालिका, वर्ष-	
09	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त लम्बवत् आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र। (एस०सी० / एस०टी० / ओ०बी०सी० / ई०डब्लू०एस०)*	
10	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त क्षैतिज आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र। (उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित / उत्तराखण्ड महिला / उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक / उत्तराखण्ड होमगार्ड / उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक या राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे)**	
11	स्थायी निवास प्रमाण-पत्र।	
12	शारीरिक मानक में छूट हेतु पर्वतीय क्षेत्र निवास प्रमाण पत्र।	
13	अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाईन भरे गये वरीयता प्रपत्र की छायाप्रति। (केवल पुरुष अभ्यर्थी हेतु)	
14	अभ्यर्थी यदि किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार / लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत है तो, सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति।	
15	यदि अभ्यर्थी के नाम / पिता के नाम में विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा प्रपत्र मूल रूप में। (अभिलेख सत्यापन के दौरान आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराया जाएगा।)	
16	पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम स्वप्रमाणित फोटोग्राफ।	

17	<p>विज्ञापन के बिन्दु सं०-08 में उल्लिखित प्राविधानानुसार " उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो,</p> <p>परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मियों, जिनकी सेवाएं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री राज्याधीन सेवाओं में समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। राज्य के स्थायी निवासी जो उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।</p>	
18	अधिमानी अर्हताओं सम्बन्धी प्रमाण –पत्र। (यदि लागू हो)।	
19	आधार कार्ड की छायाप्रति।	

* एस०सी०/एस०टी०/ओ०बी०सी०/ई०डब्लू०एस० आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण-पत्र विज्ञापन के अनुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 03 मार्च, 2022 तक वैध होना चाहिए। शासनादेश संख्या-310 दिनांक 26.10.2016 के अनुसार ओ०बी०सी० प्रमाण-पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक ही है। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उनका आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं हेतु जारी हो तथा दिनांक 04 मार्च 2019 के पूर्व निर्गत न हुआ हो।

2. ई०डब्लू०एस० प्रमाण-पत्र दिनांक 03 मार्च, 2022 के पश्चात निर्गत न हुआ हो, जो वित्तीय वर्ष 2020-2021 की आय गणना के आधार पर निर्गत हुआ हो।

** उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक या राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी (उप जिलाधिकारी से अन्यून) द्वारा निर्गत होना चाहिए।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....

अभ्यर्थी का नाम.....